

Act No. 33 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 9

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्टेज एण्ड टैक्नोलॉजी
(स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्विसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी
(स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 41 का संशोधन।

बदूदी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्ट्सिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी
(स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

बदूदी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्ट्सिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बदूदी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्ट्सिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 और प्रारम्भ है।
(2) यह 16 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. 2009 का 21 बदूदी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सार्ट्सिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना धारा 41 का और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में संशोधन ! "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री
अध्यक्ष।

अध्यक्ष
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला-171004.

दिनांक 30-4-2013

मेरे द्वारा विधेयक पर अनुमति देती हूँ

उमिका रही
राजपथाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक 28-4-2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2013

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND
TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT
BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND
TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND
TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. In section 41 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words “twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted. Amendment of section 41.

मैं, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सार्टेज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 9) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

उमीदवारी

राज्यपाल
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश |

राज्यपाल ने बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सार्टेज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 9) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

निराग मानुष

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।